रजिस्ट्री सं डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 1987/माघ 10, 1908
No. 22] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 1987/MAGH 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नयी दिल्ली, 30 जनवरी, 1987

संकल्प

सं.ई. (ओ) III-84-पी एम 6/132 :—रेलों पर महाप्रबन्धक और उसके समकक्ष पदों पर नियुक्ति करने से सम्बन्धित योजना से, जो भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय (रेल विभाग), रेलवे बोर्ड के दिनांक 16-7-1986 के संकल्प सं०ई०(ओ) III-84 पी एम 6/132 के साथ संलग्न है, भारत सरकार तत्काल प्रभाव से अनुबंध में लिखे अनुसार संशोधन करने का संकल्प पारित करती है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि विभिन्न रेल सेवाओं के ग्रुप 'ए' के सदस्यों में प्रचारित की जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

प्रकाश नारायण,
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
एवं
पदेन प्रमुख सचिव,
भारत सरकार

अनुबन्ध

रेलों पर महाप्रबन्धक और उसके समकक्ष पदों पर नियुक्ति करने सम्बन्धी योजना :

संशोधन 1. मौजूदा पैरा 4.1 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायें :—

4.1 : परिशिष्ट-1 में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए नामों का एक पैनल बनाया जायेगा। यह पैनल योजना के पैरा 5 के अनुसार गठित प्रवरण समिति द्वारा तैयार किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए, प्रवरण समिति परिशिष्ट-II में सूचीबद्ध प्रत्येक रेल

सेवा के पात्र अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता एवं सम्बन्धित सेवाओं में, उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए, उनके नामों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगी और महाप्रबन्धक तथा उसके समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए, हर लिहाज़ से योग्य समझे गये अधिकारियों का एक पैनल बनायेगी। प्रवरण समिति यह सिफारिश भी कर सकती है कि पैनल में रखे गये किसी अधिकारी विशेष को किस-किस प्रकार के विशिष्ट कार्य/कार्यों के लिए उपयुक्त समझा जाता है।

संशोधन 2. मौजूदा पैरा 4.3 के बाद, निम्नलिखित नया पैरा 4.4 जोड़ दिया जाये :—

4.4 : पूर्ववर्ती सब-पैरा के अनुसार कार्रवाई करते समय, रेलवे बोर्ड सामान्यतः पैनल में रखे गये अधिकारियों के आपसी वरिष्ठता क्रमानुसार उनकी पदोन्नति का सुझाव देगा, जो उन्हीं अधिकारियों में से दिया जायगा जिन्हें उस किस्म विशेष के काम के लिए अनुमोदित किया गया हो, सिवाय उस हालत के जबकि—

(क) पैनल में रखे जाने के बाद, पैनल में रखे गये किसी अधिकारी के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन अथवा कार्य-कलाप को, जिसकी झलक उसकी गोपनीय रिपोर्ट से मिलती हो, ध्यान में रखते हुए, उसे नजर-अन्दाज करना जरूरी समझा जाये, लेकिन शर्त यह है कि असाधारण परिस्थितियों में इस तरह की नियुक्ति की सिफारिश मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति को की जाये और इसके लिए कारण लिखित रूप में अंकित [illegible] और उसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

(ख) पैनल में वरिष्ठताक्रम का कुछ महीनों के लिए अस्थायी तौर पर त्याग करना आवश्यक समझा जाय, ताकि थोड़ी समयावधि के भीतर उत्पन्न होने वाली विभिन्न रिक्तियों में अधिकारियों को उनकी सापेक्ष पृष्ठभूमि और अभिरुचि के अनुसार सर्वोत्तम ढंग से लगाया जा सके। ऐसी हालत में यह अधिसूचित कर दिया जायेगा कि कनिष्ठ अधिकारी को पैनल में रखे गये अपने से वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में कोई वरिष्ठता नहीं मिलेगी, अथवा

(ग) किसी विभाग विशेष के अधिकारी को, रेलवे बोर्ड के उसी विभाग के सदस्य के पद पर कार्य करने के लिए, सामान्यतः उसकी बारी आने से पहले उसे महाप्रबन्धक (चालू लाइन) के रूप में पदोन्नत करना अपरिहार्य हो जाये। ऐसे मामलों में, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के विचारार्थ विस्तार से कारण बताये जायेंगे। यदि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा इस तरह की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया जाता है, तो यह अधिसूचित किया जायेगा कि कनिष्ठ अधिकारी को पैनल में रखे गये अपने से वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में कोई वरिष्ठता नहीं मिलेगी, अथवा

(घ) किसी एक सेवा के अधिकारियों द्वारा महाप्रबंधक और उसके समकक्ष छः से अधिक पद धारण करने से किसी एक सेवा को अनावश्यक प्रधानता का परिहार करने के लिए वास्तविक नियुक्ति के समय किसी पैनलबद्ध अधिकारी को छोड़ देना आवश्यक समझा जाये। ऐसी स्थिति में यह अधिसूचित किया जायेगा कि कनिष्ठ अधिकारी को पैनल में रखे गये वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में कोई वरिष्ठता नहीं मिलेगी।

संशोधन 3. पैरा 8 में, वर्तमान स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

स्पष्टीकरण 1 :

उपर्युक्त (ii) के प्रयोजन के लिए, किसी एक सेवा के अधिकारियों द्वारा महाप्रबन्धक और उसके समकक्ष छः से अधिक पद धारण करना सामान्यतः अनावश्यक प्रधानता मानी जायगी।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

RESOLUTION

No. E(O)III-84.PM6|132.—In the Scheme for making appointment to the posts of General Managers and equivalent in the Railways, annexed to Government of India, Ministry of Transport (Department of Railways), (Railway Board) Resolution No. E(O)III-84. PM6|132 dated 16-7-1986, the Government of India adopts this Resolution introducing the amendments as indicated in the Annexure, with immediate effect.

ORDER : Ordered that a copy of the Resolution be circulated among the members of various Group 'A' Railway Services.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PRAKASH NARAIN, Chairman.
Railway Board & ex. Officio Principal Secretary to Govt. of India.

ANNEXURE

SCHEME FOR MAKING APPOINTMENTS TO POSTS OF GENERAL MANAGERS AND EQUIVALENT IN THE RAILWAYS :

Amendment 1. For the existing para 4.1, the following shall be substituted :—

4.1 : A panel of names for consideration for appointment to the posts listed in Appendix

I shall be prepared by a Selection Committee set up in accordance with para 5 of the Scheme. For this purpose, the Selection Committee shall consider on merit eligible officers of each of the Railway Services listed in Appendix II, having regard to their inter-se seniority as well as their seniority in the respective Services, and prepare a panel of officers considered suitable in all respects for appointment to the posts of General Manager and equivalent. The Selection Committee may also recommend the specific type|types of assignments for which a particular officer mentioned in the panel may be considered suitable.

Amendment 2. After existing para 4.3 the following new para 4.4 be added :—

4.4 : While taking action as in the preceding subpara, the Railway Board shall normally suggest the promotion of empanelled officers in order of their inter-se seniority within those cleared for that particular type of assignment, except when—

(a) It is considered necessary to over-look any officer on the panel in view of any unsatisfactory performance or action as reflected in his confidential report, subsequent to his empanelment, subject to such a recommendation being made to the Appointments Committee of the Cabinet under exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing and put up to the Appointments Committee of the Cabinet for their consideration, or

(b) it is considered necessary to make a temporary departure from the order of seniority in the panel for a few months to fit the officers considered in different vacancies arising within a short time span in a manner best in keeping with their relative background and aptitude. In this event, it will be notified that the junior officer will not gain any seniority vis-a-vis his empanelled seniors, or

(c) it becomes inescapable to promote an officer of a particular discipline as General Manager (Open Line), ahead of his normal turn, to meet the requirements for manning the post of Member, Railway Board, corresponding to his discipline. In such cases, detailed reasons will be recorded for the consideration of the Appointments Committee of the Cabinet. In the event of such an appointment being approved by the Appointments Committee of the Cabinet, it will be notified that the junior officer will not gain any seniority vis-a-vis his empanelled seniors. or

(d) it is found necessary to leave out any officer borne on the panel at the time of actual appointment in order to avoid undue predominance of any one Service by holding of more than six posts of General Managers and equivalent by officers belonging to any one Service. In this event, it will be notified that the junior officer will not gain any seniority vis-a-vis his empanelled seniors.

Amendment 3. In Para 8, for the existing Explanation 1, the following shall be substituted :—

Explanation 1 :

For the purpose of (ii) above, holding of more than 6 posts of General Managers and equivalent by officers belonging to any one Service would ordinarily be construed as undue predominance.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987